सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 29, बुधवार, *शाके* 1946-जून 19, 2024 *Jyaistha 29, Wednesday , Saka 1946- June 19, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 12, 2024

संख्या प. 2(25)वन/2024 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद् नही किये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हे लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादक में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आंशका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ओफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हे लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती है। तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11, (1) 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वनभूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रंक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आयेगी। और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त सरंक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से

उक्त वन में पत्थरो को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

1. प्रथम अनुसूची (वन भूमि)
2. द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आक्षा से,

मोनाली सेन,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र स.	नाम ब्लाँक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					नाम ग्राम	चक संख्या	मुरबा संख्या	रकवा (बीघा–बिस्वा)
1	कोलू तला ए भाग–1	रामगढ-2	जैसलमेर	**उत्तर:**- नहर बी.टी.एम. **दक्षिण:**- काश्त भूमि ग्राम कोलू तला ए **पूर्व:**- काश्त भूमि ग्राम कोलू तला ए **पश्चिम:**-पी डब्लू डी रोड	कोलू तला ए	15 RMM	218/01	07-05
						15 RMM	218/02	25-00
						15 RMM	218/03	25-00
						15 RMM	218/04	25-00
						14 RMM	218/05	16-06
						15 RMM	218/10	24-05
						15 RMM	218/11	24-05
						15 RMM	218/18	25-00
						15 RMM	218/19	25-00
						15 RMM	218/26	22-13
						15 RMM	218/27	24-05
						15 RMM	218/34	22-03
						15 RMM	218/35	25-00
						15 RMM	218/42	19-08
						15 RMM	218/43	24-05
						15 RMM	218/50	19-08
						15 RMM	218/51	23-00
						15 RMM	218/59	23-10
						15 RMM	238/02	15-02
						15 RMM	238/03	22-06
						13 RMM	238/10	14-12
						13 RMM	238/11	24-05
						13 RMM	238/18	14-18
						14 RMM	218/13	22-06
						14 RMM	218/21	21-16
						14 RMM	218/29	22-06
						14 RMM	218/37	14-00
						15 RMM	218/60	24-05

प्रथम अनुसूची								
क्र स.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					नाम ग्राम	चक संख्या	मुरबा संख्या	रकवा (बीघा–बिस्वा)
						15 RMM	238/04	25-00
						15 RMM	218/61	22-06
						15 RMM	238/05	23-00
						14 RMM	218/14	24-05
						14 RMM	218/06	11-00
						5 RMSM	218/15	24-02
						14 RMM	218/46	15-11
						14 RMM	218/54	25-00
						14 RMM	218/62	24-05
						15 RMM	238/06	25-00
						15 RMM	238/07	25-00
					योग		**39**	**840–18**
					क्षैत्रफल है0			**212.6922**
2.	कोलू तला ए भाग–2	रामगढ-2	जैसलमेर	**उत्तर:**- काश्त भूमि ग्राम कोलू तला ए **दक्षिण:**-सड़क **पूर्व:**- काश्त भूमि ग्राम कोलू तला ए **पश्चिम:**- काश्त भूमि ग्राम कोलू तला ए	कोलू तला ए	14 RMM	218/64	24-05
						14 RMM	219/57	24-05
						14 RMM	219/58	24-05
						15 RMM	239/02	25-00
						15 RMM	239/09	24-05
						15 RMM	239/10	23-15
						14 RMM	239/11	01-15
					योग		**7**	**147–10**
					क्षैत्रफल है0			**37.3078**
3.	कोलू तला ए भाग–3	रामगढ-2	जैसलमेर	**उत्तर:** पी डब्लू डी सड़क **दक्षिण:** काश्त भूमि ग्राम कोलू तला ए **पूर्व:**- नहर आर एम एम **पश्चिम:** काश्त भूमि ग्राम कोलू तला ए	कोलू तला ए	14 RMM	239/11	20-19
						14 RMM	239/12	24-05
						14 RMM	239/19	11-05
						14 RMM	239/20	08-13
						14 RMM	239/21	23-10
					योग		**5**	**88-12**
					क्षैत्रफल है0			**22.4100**
				महायोग (भाग 1+2+3) है0.		**1077.00**		**272.4100**

(बलराम शर्मा)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
इकाई सप्तम इ.गा.न.प. स्टेज-॥
इकाई सप्तम उपखण्ड रामगढ़

उप वन संरक्षक,
इ.गा.न.प. स्टेज-॥
जैसलमेर

द्वितीय अनुसूची

प्रस्तावित वनखण्ड में आने वाली वनस्पतियों के वानस्पतिक नामो की सूची

क्र.स.	बोटनिकल नाम	हिन्दी नाम
1.	Zizyphusglabrata	बेर
2.	Zizyphusnummularia	झडबेर
3.	Prosopis cineraria	खेजडी
4.	Acacia nilotica	बबूल देशी
5.	Azardirachtaindica	नीम
6.	Dalbergiasissoo	शीशम

(बलराम शर्मा)
उप वन संरक्षक,
इ.गा.न.प. स्टेज-॥
जैसलमेर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
इकाई सप्तम इ.गा.न.प. स्टेज-॥
इकाई सप्तम उपखण्ड रामगढ़

कार्यालय उप वन संरक्षक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज-॥ जैसलमेर

प्रमाण पत्र

जिला :- जैसलमेर

तहसील :- रामगढ-2

रेंज :- इकाई- सप्तम, उपखण्ड रामगढ,

वनखण्ड:- कोलू तला ए भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3

ग्राम :- कोलू तला ए

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी भूमि का वर्गीकरण राजस्व रिकार्ड में (वन विभाग, राजस्थान सरकार) महकमा जंगलात है। जिसे विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से मुरबा नम्बर विवरण सहित दर्शाया गया है।
2. भूमि पर वृक्षो का घनत्व 0.0 से 0.1 है।
3. सीमावृती क्षेत्र की स्थिति खातेदारी नदी, नाले व वन भूमि है। तथा सीमा का उल्लेख एवं खसरा नं. व रकबा विज्ञप्ति में दर्ज कर दिया गया है।
4. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा एवं जमाबन्दी संलग्न है। जिसमें मुरबा नं. व रकबा दर्ज है एवं जी.टी. शीट की छायाप्रति संलग्न है।
5. प्रस्तावित वनो के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीये गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्व हो सकें।
6. प्रस्तावित भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।
7. प्रस्तावित गैर वन भूमि वन विभाग को बांरा में स्थापित होने वाले शाहपुर पम्पड स्टोरेज परियोजना (1800 मेगावाट) के बदले मैसर्स ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूमि रजिस्टर्ड हस्तांनातरण पत्र के माध्यम से वनविभाग राजस्थान सरकार के नाम सम्पादित कराया गया।
8. मुरबो/खसरे के समीपस्थ कटाऩ व रास्ता वनखण्ड में शामिल नहीं है।

(बलराम शर्मा)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
इकाई सप्तम इ.गा.न.प. स्टेज-॥
इकाई सप्तम उपखण्ड रामगढ़

उप वन संरक्षक,
इ.गा.न.प. स्टेज-॥
जैसलमेर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।